रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260411
CG-DL-E-23012025-260411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946
No. 411]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

सं. 01/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै०टे०)

का.आ. 415(अ).— केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड उन बातों, जिन्हें केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रवृत्त होने से पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के खण्ड (55), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 3, सेवाकर नियम, 1994 के नियम 3 और केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अनुसरण में:-

(क) नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है, और

(ख) ऐसे अधिकारियों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 और तदधीन बनाए गए नियमों तथा वित्त अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी शक्तियाँ निहित करता है और

(ग)

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, और

(ii) प्रधान आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर; और

(iii) आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (लेखापरीक्षा); और

(iv) आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (अपील), को

उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारिता समुदेशित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी का पद और पदनाम	अधिकारिता	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोई भी प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक जिसकी तैनाती केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के तहत निम्नलिखित की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, में की गई है (क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या (ख) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर	अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) तारीख 9 जून, 2017 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की अधिकारिता	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 35 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 85 के अधीन उन अपीलों के संबंध में अपील में आदेश पारित करना जो ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (अपील) के पास तारीख 1 जुलाई, 2017 को या उसके बाद फाइल की गई है।

[फा. सं. सीबीआईसी-240137/1/2025-सेवा कर अनुभाग-सीबीईसी]

राजेश कुमार मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

No. 01/2025-Central Excise (N.T.)

S.O. 415(E).—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with clause (55) of section 65B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), rule 3 of the Central Excise Rules, 2017, rule 3 of the Service Tax Rules, 1994 and clause (e) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), in respect of things done or omitted to be done before the coming into force of the Central Goods and Services Act, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby-

(a) appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below as the Central Excise Officers;

(b) vests such officers with all powers under the Central Excise Act, 1944 and the rules made thereunder and the Finance Act, 1994 and the rules made thereunder; and

(c) assigns-

(i) such Central Excise officers mentioned in column (2) of the Table below, and

(ii) Principal Commissioners of Central Excise and Service Tax or Commissioners of Central Excise and Service Tax;

(iii) Commissioners of Central Excise and Service Tax (Audit); and

(iv) Commissioners of Central Excise and Service Tax (Appeals),

with the jurisdiction mentioned in column (3) of the said Table, for the purpose mentioned in column (4) of the said Table.

TABLE

Serial Number	Rank and designation of the Central Excise officer	Jurisdiction	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Any Principal Additional Director General or Additional Director General who is posted, *vide* an administrative order issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, in the territorial jurisdiction of a- (a) Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax; or (b) Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax.	The jurisdiction of such Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, as specified in notification number 13/2017-Central Excise (NT), dated the 9th June, 2017.	Passing orders in appeal with respect to appeals filed under section 35 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 85 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), which have been filed on or after the 1st July, 2017 with the Commissioner of Central Excise and Service Tax (Appeals), in the territorial jurisdiction of such Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax.

[F. No. CBIC-240137/1/2025-SERVICE TAX SECTION-CBEC]

RAJESH KUMAR MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA